

फैक्स/ई-मेल
अतिआवश्यक

प्रेषक

श्रम आयुक्त, हरियाणा,
चण्डीगढ़ ।

सेवा में

1. अतिरिक्त श्रम आयुक्त, (एन0सी0आर0), गुड़गांव ।
2. सभी अधिष्ठता अधिकारी, श्रम न्यायालय, हरियाणा राज्य ।
3. सभी उप निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, हरियाणा राज्य ।
4. उप निदेशक, औद्योगिक एवं स्वास्थ्य, गुड़गांव-1 एवं 11 फरीदाबाद ।
5. सभी उप श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य ।
6. सभी सहायक श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य ।
7. सभी सहायक निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, हरियाणा राज्य ।
8. लेखा अधिकारी, कार्यालय श्रमायुक्त, हरियाणा ।
9. आई0 टी0 सैल, मुख्यालय ।

क्रमांक: स्था0/03/2016/ 17853-90
दिनांक: 21/4/16

विषय:- सर्विस प्रोवाइडरों के संबंध में मांगी गई सूचना बारे।

उपरोक्त विषय पर माननीय श्रम मंत्री महोदय से प्राप्त नोट दिनांक 04.04.2016 के सन्दर्भ में।

विषय सम्बंध में आपको सूचित किया जाता है कि श्रम विभाग में मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार द्वारा जारी आउटसोर्सिंग पोलिसी के तहत मै0 नरवाल सुपर सिक्वोरिटी, पानीपत व मै0 आस्कर फायर सर्विस पंचकुला के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों को पोलिसी के तहत मिनीमम वेज प्रदान किया जा रहा है या नहीं, इसके अतिरिक्त आउटसोर्सिंग आधार पर कार्यरत स्टाफ से नियत कार्य अवधि (जोकि 8 घण्टे) से ज्यादा काम तो नहीं लिया जा रहा, यदि लिया जा रहा है तो क्या उन्हें ऑवर टाइम दिया जाता है या नहीं। इसके अतिरिक्त फर्म द्वारा वर्तमान में ई0एस0 आई/ई0पी0एफ0 काटा जा रहा है या नहीं, यदि काटा जा रहा है तो उस बारे पूर्ण सूचना (ई0एस0 आई0 न0 व ई0पी0एफ0 न0 सहित) दस्तावेज सहित मुख्यालय में दिनांक 19.04.2016 तक फैक्स/ई मेल (solabour@gmail.com) भिजवायें ताकि समय से सूचना माननीय श्रम मंत्री महोदय को उपलब्ध करवायी जा सके।

सहायक श्रम आयुक्त (स्था0)
कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा ।